वित्तीय स्वीकृति

संख्या-52/2015/भा0स0 109/52-3-15-बजट(16)/2015 टी0सी0-II

प्रेषक,

मो0 शफ़कत कमाल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 □□□□

□□ में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□ □

अल्पसंख्यक कल्याण □□वक्फ □□□□-3, □□□□□ दिनांक 5 नवम्बर, 2015

विषयः- केन्द्र पुर□□□□□□ □□□□/□□□□ शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत □□□□ □□□□ द्वारा स्वीकृत □□□□□ अवमुक्त किये □□□□□□□ में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□ □□□□ विकास मंत्रालय □□□ □□□□ □□पत्र □0 □0-□□-8-4/2015 □□ 19, दिनांक 7.9.2015 □□ पत्र □0-□□-8-44/2014 □□ 19, दिनांक 7.9.2015 □□संदर्भ में □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □कि □□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत क्रमशः 2108 □□ 849 मदरसों में कार्यरत □□□□ विषयों □□शिक्षकों के□वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □□□□ □□ □□ प्रथम किश्त हेतु□□□□ □□□□ विकास मंत्रालय द्वारा दे□ □□□□□ □□सापेक्ष निम्नांकित □□□□ □□स्तम्भ-6 □□अनुरूप □□□□□ समायोजित □□□□□उपरान्त स्तम्भ-7 □□अनुरूप □□□ रू0 24,75,95,000/- की □□□□□ अवमुक्त की □□ □□

क्र0 □0	□□□□□□ □0 □ दिनांक	□□ □0	मदरसों की □0 जिनके □□ □□□□□ स्वीकृत की	वर्ष जिसके □□ □□□□□ स्वीकृत की □□	प्रथम किश्त □□रूप में स्वीकृत □□□□□	समायोजित की □□ □□□□□	अवमुक्त □□□□□

http://snasanadesh.up.nic.in

			□□□				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	□□-8-4/2015 □□ 19, दिनांक 7.9.2015	2108	2039	2014-15	18,34,56,000	01,75,81,000	16,58,75,000
2	□□-8-44/2014 □□ 19, दिनांक 7.9.2015	849	805	2014-15	08,17,20,000	00	08,17,20,000
							24,75,95,000

2. □□□□ वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजनान्तर्गत केन्द्रांश □□□ रू0 02,44,71,24,000/- □□ □□ व्ययक प्राविधान हैं। जिसके सापेक्ष रू0 37,28,29,000/- की □□□□□ अवमुक्त की □□ चुकी □□ □□□ रू0 02,07,42,95,000/- की □□□□□ □□□□ □□ उक्त □□□□ □□□□□ □□ सापेक्ष □□□□ □□□□ विकास मंत्रालय भ□□□ □□□□ द्वारा स□□□□□ □□उपरान्त अवमुक्त की □□□ □□□ □□□□□ रू0 24,75,95,000/- (रू0 चैबिस □□□ पचहत्तर □□ पच्चानवें □□□ मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के □□□ अवमुक्त □□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण □0प्र0, □□□□ □□ निर्वतन पर □□□□□□ की श्री राज्यपाल □□□□ सहर्ष स्□□□ प्रदान □□□□□:-

(1) राज्य □□□ द्वारा □□□□□ □□ □□/□□□□ दिये □□□□□□□□□□□ शिक्षकों □□ विवरण विभागीय □□□□□ □□ दिनांक 31.12.2015 □□ उपलब्ध □□□□ □□□ सुनिश्चित किया □□, ताकि □□□ □□□□ □□प्राप्त □□□□□ □□□□□/□□□ □□ में □□□□ □□□□ □ □□□□□□□□पारदर्शिता □□ □□□

(2) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□ व्यय/□□□□ □□ □□□ में □□□ □□□□ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं□□□□-□□□ □□ □□□ □□□□ □□□राज्य □□□□ द्वारा निर्गत सु□□□ शासनादेशों □□ अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति क□□□□□किया □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त स्वीकृति हेतु शर्त संख्या [illegible] कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी [illegible] आश्वस्त हो[illegible] विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) का शिक्षण कार्य [illegible] शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि हो[illegible] पश्चात ही [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कि लाभान्वित [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत गा[illegible] की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण [illegible] यदि किसी मदरसें में [illegible] किया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/[illegible] वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया उत्तरदायी होंगे [illegible] [illegible] रूप [illegible] की [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] सुनिश्चित की [illegible]

(4) [illegible] [illegible] अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का [illegible] व्यक्तिगत दायित्व [illegible] कि [illegible] स्वीकृत [illegible] [illegible] दिशा-निर्देशो के [illegible] [illegible] सुनिश्चित करेगें। किसी [illegible] [illegible] में अस्तित्वहीन [illegible] अस्तित्वहीन शिक्षक [illegible] [illegible] वितरित न [illegible] वितरण [illegible] सुनिश्चित किया [illegible] [illegible] वास्तव में उपस्थित [illegible] [illegible] मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित [illegible] [illegible] हों। वितरण पारदर्शी तरीके [illegible] [illegible] व्यय [illegible] पूर्ण [illegible]-[illegible] [illegible] सुरक्षित [illegible] [illegible] दायित्व जिला अल्पसंख्यव कल्याण अधिकारियों का [illegible] प्रश्नगत य[illegible] की [illegible] [illegible] प्रमाण पत्र अविलम्ब [illegible] [illegible] पे्रषित किया [illegible], [illegible] [illegible] व्यय नही [illegible] [illegible] उसकी जानकारी विवरण सहित [illegible] [illegible] उपलब्ध [illegible] [illegible]

(5) योजनान्तर्गत कार्यरत [illegible] विषयों के शिक्षकों को प्रश्नगत अ[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पूर्व [illegible] सुनिश्चित कर [illegible] [illegible] कि पूर्व में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] शिक्षक [illegible] नही किया [illegible] [illegible]

(6) उक्त स्वीकृत [illegible] [illegible] सापेक्ष [illegible] योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के [illegible] [illegible] ही [illegible] किया [illegible] किसी [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] किसी अन्य प्रयोजनार्थ व्यय नहीं की [illegible]

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) □□ □□□□□ □□शिक्षकों को □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ किया □□□□ जिस □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ द्वारा स्वीकृत की □□□ □□

(8) स्वीकृत □□□□□ □□ □□□□□□□ प्रमाण पत्र □□ □□□ □□अन्दर □□□□ □□ उपलब्ध □□□□ □□□□□

3- उक्त □□ □□□□□□□ व्यय □□□□वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □ □-व्ययक □□ □□□□□ संख्या-48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आर□□□□□/केन्द्र द्वारा □□□□□□□□ योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में □□□□ □□□□ मदरसों □□ आधुनिकीकरण (□□0100/□□0-□□0)- 20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□ □□□□□□□ □□□□□

4- □□□□ □ □□ वित्त विभाग □□ कार्यालय ज्ञाप संख्या-□□-1-2457/□□-2014-231/2014, दिनांक 22.7.2014 में प्रदत्त निर्देशों के □□□□ निर्गत किये □□ □□□□□

भवदीय,

(□□0 □□□□ □□□□)
विशेष □□□□

<u>संख्या-भा0स0 109/52-3-15 तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं□आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त □□□□□(□□0□□0) □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा □□□ साक्षरता विभाग) □□□□ □□□□□ शास्त्री □□□ □□□ दिल्ली।
2- □□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□
3- □□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भ□□ थार्न हिल □□□ □□□□□□□
5- कोषाधिकारी □□□□□ □□□ □□□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□ □0प्र0 □□□□□
6- □□□□ माध्यमिक शिक्षा एवं□□□□□ शिक्षा विभाग □0प्र0 □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

7- □□□□□ उर्दू/प्राच्य भाषायें/□□□□□ शिक्षा विभाग □0प्र0 □□□□□

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी □0प्र0 □□□□□ □

9- रजिस्ट्रार □0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□ □□□□ □

10- वित्त (□-11) □□□□□/वित्त (□□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/ □□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□

11- कम्प्यूटर □ □□□□ अल्पसंख्यक कल्याण □□0-3 □□ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

12- गार्ड □□□□

आज्ञा □□,

(□□□ मुहीउद्दीन)

□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in